रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 270] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 1970/श्रावण 7, 1892

No. 270] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 1970/SRAVANA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th July 1970

S.O. 2599.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notified order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 3091/18A/IDRA/67, dated the 2nd September, 1967, namely:—

In paragraph 2 of the said Order, for item (viii) the following item shall be substituted, namely:—

"(viii) Shri A. N. Chadha, Under Secretary and Officer on Special Duty, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food), New Delhi."

[No. 9(1)Lic.Pol/67.]

K. M. RAJPAL, Under Secy.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई 1970

एस० ओ० 2599.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 ए की उपधारा (1) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अधिसूचित आदेश संख्या एस० ओ० 3091/18 ए/आई० डी० आर० ए० 167 दिनांक 2 सितम्बर, 1867 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैराग्राफ 2 में मद (8) के स्थान पर निम्नलिखित मद पढ़ी जाए अर्थात्

"(8) श्री ए० एन० चड्ढा, अवर सचिव, तथा विशेष कार्य अधिकारी, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग), नई दिल्ली))"।

[सं० एफ० 9(1) लाई० पालिसी/67.]

के० एम० राजपाल, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970